प्रेषक,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
ऊधम सिंह नगर।

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
समस्त निजी विद्यालय
ऊधम सिंह नगर।

पत्रॉक / विविध / 5512-18 / शुल्क / 2020–21, दिनॉक 18 सितम्बर 2020

विषयः– **शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयो में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं से लिए जाने वाले शुल्क के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 130 / XXIV-B-5/2020 / 03(01) / 2020, दिनॉक 22 अप्रैल, 2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या 126 / XXIV-B-5/2020 / 03(01) / 2020, दिनॉक 25 मार्च 2020 द्वारा प्रदेश में संचालित शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं से कोरोना वायरस संकमण विषयक स्थिति सामान्य होने तथा विद्यालयों के खाले जाने हेतु आदेश निर्गत किये जाने तक समस्त प्रकार के शुल्क लिये जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गयी है। शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्र–छात्राओ से शुल्क प्राप्त न होने के कारण, इन संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक / कार्मिकों को वेतन भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है, जिसके कारण सम्बन्धित शिक्षकों / कार्मिकों के समक्ष उक्त विषम परिस्थितियों में विकट आर्थिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतः उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्देश दिये गये हैं–

1– प्रदेश में स्थित समस्त शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के ऐसे अभिभावकों से शुल्क जमा करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है, जो स्वेच्छा से शुल्क जमा करना चाहते हैं।

2– उक्तानुसार एक बार में केवलवर्तमान माह का ही शुल्क जमा किया जायेगा। विद्यालय द्वारा किसी भी दशा में आने वाले माहों का अग्रिम शुल्क एक साथ कदापि नही लिया जायेगा।

3– शैक्षिक सत्र 2020–21 में निजी विद्यालयो द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के शुल्क में वृद्वि नही की जायेगी।

4– ऐसे छात्र–छात्राऐं, जो लॉकडाउन से उत्पन्न आर्थिक तंगी के कारण मासिक शुल्क का भुगतान नही कर पा रहे हैं उनका नाम विद्यालय से पृथक नही किया जायेगा तथा उन्हें उक्त स्थिति सामान्य होने तक शुल्क भुगतान करने हेतु बाध्य नही किया जायेगा एवं उनका पठन–पाठन (ऑनलाईन / अन्य संचार माध्यमों से) भ यथावत रखा जायेगा।

5– सभी शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयो में कार्यरत शिक्षक / कार्मिकों का मासिक वेतन का भुगतान नियमित रूप से किया जायेगा।

6– प्रश्नगत माहों में शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों द्वारा छात्रहित में ऑनलाईन एवं अन्य संचार माध्यमो द्वारा शिक्षण कार्य जारी रखा जायेगा।

तद्कम उक्त शासनादेश की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार / संलग्न शासनादेशानुसार के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

<u>किसी भी प्रकार की लापरवाही हेतु सम्बन्धित प्रबन्धक / प्रधानाचार्यों पर कार्यवाही की जायेगी।</u>

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

18.9.2020

मुख्य शिक्षा अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0 / विविध / / शुल्क / 2020–21, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपिः– 1– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित।

2– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

3– जिलाधिकारी महोदय, ऊधम सिंह नगर।

4– मण्डलीय अपर निदेशक मा0शि0 / प्रा0शि0, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

5– जिला शिक्षा अधिकारी,प्रा0शि0, ऊधम सिंह नगर को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6– समस्त खण्ड / उप शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर उक्त पत्र का कियान्वयन, निजी विद्यालयों को पत्र अपने स्तर से उपलब्ध कराने तथा उक्त विषयक किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित विद्यालय / सम्बन्धित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
ऊधम सिंह नगर